ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 6, Issue 1, January 2019

मनरेगा का रोजगार पर प्रभाव: दौसा जिले के विशेष संदर्भ में

राम खिलाड़ी मीना

सहायक आचार्य-अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, सिकराय, दौसा, राजस्थान

सार

दौसा में मनरेगा योजना के तहत 52 हजार 139 श्रमिकों को रोजगार

दौसा जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत 845 कार्यो पर वर्तमान में 52 हजार 139 अकुशल श्रमिक कार्य कर रहे है। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीकान्त बालोत ने बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुये जिले के सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिरत समस्त कार्यो पर कार्यरत श्रमिकों को आवश्यक रूप से मास्क लगाकर कार्य कराने तथा केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के संबंध में जारी एडवाईजरी के अनुसार सोशियल डिस्टेन्स की पालना सहित अन्य बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे। साथ ही समस्त कार्यस्थलों पर हाथ धोने के लिए साबुन व पानी की भी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये श्रमिकों को कम से कम 3-4 बार हाथ धोने हेतु निर्देशित किये जाने हेतु प्रेरित करे।
उन्होने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य समय प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद भी यदि श्रमिक द्वारा निर्धारित टास्क को समय से पूर्व पूरा कर लिया जाता है तो वह अपने कार्य की माप मेट को अवगत करवाकर कार्यस्थल छोड सकते है।
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में वर्तमान में पंचायत समिति बांदीकुई मे 46 ग्राम पंचायतों में 129 कार्य प्रगतिरत है, जिन पर 8182 अकुशल श्रमिक कार्यरत है। पंचायत समिति दौसा में 29 ग्राम पंचायतों में 93 प्रगतिरत कार्यो पर 8401 श्रमिक, पंचायत समिति लालसोट में 49 ग्राम पंचायतों में 261 कार्यो पर 12405 श्रमिक, पंचायत समिति लवाण में 25 ग्राम पंचायतों में 112 कार्यो पर 7640 श्रमिक , पंचायत समिति महवा में 42 ग्राम पंचायतों में 92 कार्यो पर 7517 श्रमिक तथा पंचायत समिति सिकराय में 40 ग्राम पंचायतों में 158 कार्यो पर 7994 श्रमिक कार्यरत है। इस प्रकार जिले की कुल 288 ग्राम पंचायतों मे सें पुरानी ग्राम पंचायतों के आधार पर 231 ग्राम पंचायतों में संचालित 845 कार्यो पर 52139 श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है।

कुंजी शब्द: मनरेगा, रोजगार , प्रभाव, दौसा जिले , श्रमिक, पंचायत, समिति।

परिचय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था।[1]

इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों। नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है। सरकार एक कॉल सेंटर खोलने की योजना बना रही है, जिसके शुरू होने पर शुल्क मुक्त नंबर 1800-345-22-44 पर संपर्क किया जा सकता है।[2] शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 6, Issue 1, January 2019

सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 221 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं।योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिक मद में 100 प्रतिशत राशि केन्द्र से जारी होती है तथा सामग्री मद में 25 प्रतिशत राज्य से एवं 75 प्रतिशत राशि केन्द्र से जारी होती है। दौसा (Dausa) भारत के राजस्थान राज्य के दौसा ज़िले में स्थित[2]

एक नगर है।[1][2]*जिसमें 13 उपखंड है। दौसा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है। यह जयपुर से 54 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है।दौसा लम्बे समय तक बडगुर्जरो के आधिपत्य मे रहा।दौसा के किले का निर्माण भी गुर्जरों ने करवाया।आभानेरी मे स्थित चाँदबावडी का निर्माण भी इन्ही की देन हैं।दौसा दुल्हेराय को दहेज मे प्राप्त हुआ। दौसा का नाम पास ही की देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा। दौसा कच्छवाह राजपूतों की पहली राजधानी थी। इसके बाद ही उन्होंने आमेर और बाद में जयपुर को अपना मुख्यालय बनाया। 1562 में जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत को गए तब वे दौसा में रुके थे। दौसा में ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्थान है जो यहाँ के प्राचीन साम्राज्य की याद दिलाते हैं आजादी के बाद सर्व प्रथम जो तिरंगा झंडा लाल किले पर फहराया गया वो दौसा जिले के पास स्थित गांव अलुदा में बनाया गया था। जो दौसा से 10 किमी की दूरी पर है

आगामी वर्ष में, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पंचशाला (Panch-Shala) योजना के अंतर्गत पौधशाला (Nursery), कार्यशाला (Work-Shade), निर्माणशाला (Building Material Production Centre), पशुशाला व पोषणशाला (Nutri-Centre) के 50 हजार से अधिक कार्य किए जायेंगे। दौसा – कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की कथित भारत जोड़ो यात्रा दौसा जिले मे लालसोट से दौसा सिकंदरा बांदीकुई होते हुए बसवा तक हुई थी। जिसमें कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने अपने युवराज को प्रसन्न करने के लिए सरकारी मशीनरी व सार्वजनिक धन का बुरी तरह दुरुपयोग किया। लालसोट से लेकर बसवा तक जिन जिन रास्तों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी वहां आसपास की जितनी ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहे थे वहां के मनरेगा मजदूरों को राहुल गांधी के लिए हाईवे साफ करने, हाईवे किनारे मिट्टी डालने, सड़के धोने, व कांग्रेस की झंडे बैनर लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया।जबकि मनरेगा कार्य गावों मे किसी विकास कार्य के लिए स्वीकृत थे वहां काम न करवाकर सरकारी प्रशासन का दुरुपयोग कर गरीब मनरेगा मजदूरों को जबरदस्ती राहुल गांधी की यात्रा में कार्य करवाए गए। इस दौरान न तो उनके लिए छाया पानी दवाई की व्यवस्था की गई और नाही कार्य की समय सीमा का ध्यान रखा गया. और उन्हें यात्रा के दौरान जबरदस्ती राहुल गांधी के स्वागत के लिए यात्रा मैं स्वागत के लिए खड़ा रखा गया। इस घटनाक्रम को अखबारों और कुछ मीडिया चैनलों ने दिखाया है।आपसे निवेदन है कि 1 दिसंबर 2016 से लेकर 20 दिसंबर 2016 तक दौसा जिले की लालसोट,रामगढ़ पचवारा, नांगल राजावतान, दौसा, सिकंदरा,बांदीकुई,बसवा पंचायत समितियों मे हुए मनरेगा कार्यों व अन्य सार्वजनिक राशि खर्च की जांच करवाई जाये.ताकि गरीब मनरेगा मजदूरों के हुए शोषण का न्याय मिल सके. और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।[3]

यह अधिनियम, राज्य सरकारों को "मनरेगा योजनाओं" को लागू करने के निर्देश देता है। मनरेगा के तहत, केन्द्र सरकार मजदूरी की लागत, माल की लागत का 3/4 और प्रशासनिक लागत का कुछ प्रतिशत वहन करती है। राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता, माल की लागत का 1/4 और राज्य परिषद की प्रशासनिक लागत को वहन करती है। चूंकि राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती हैं, उन्हें श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारी प्रोत्साहन दिया जाता है।

हालांकि, बेरोजगारी भत्ते की राशि को निश्चित करना राज्य सरकार पर निर्भर है, जो इस शर्त के अधीन है कि यह पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के 1/4 भाग से कम ना हो और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का 1/2 से कम ना हो। प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार (या बेरोजगारी भत्ता) सक्षम और इच्छुक श्रमिकों को हर वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाना चाहिए । ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करते हैं। जांच के बाद पंचायत, घरों को पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है। जॉब कार्ड में, पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति, या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से (निरंतर काम के कम से कम चौदह दिनों के लिए) काम करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जाएगा।[4]

इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 2 फ़रवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई, जिसे 2007-2008 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक अंततः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। == इतिहास आणि अनुदान == ही योजना 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी 200 जिल्ह्यांमध्ये लॉन्च करण्यात आली होती, जी 2007-2008 मध्ये आणि 1 एप्रिल 2008 पर्यंत 130 जिल्ह्यांमध्ये विस्तारली गेली होती, ती शेवटी 5 9 3

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 6, Issue 1, January 2019

जिल्ह्यांत अंमलात आणली गेली. 2006-2007 में परिव्यय 110 बीलियन रुपए था, जो 2009-2010 में तेज़ी से बढ़ते हुए 391 बीलियन रूपए हो गया (पिछले 2008-2009 बजट की तुलना में राशि में 140% वृद्धि)। 200 99 -2007 मध्ये 110 बिलियन रूपयांची तरतूद होती, 200 9 -2010 च्या तुलनेत (3 9-200 9 च्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत 140% वाढ) ते 3 9 .1 अब्ज रुपयांवर वाढले. सबसे पहले पंचायत द्वारा एक प्रस्ताव ब्लॉक कार्यालय में दिया जाता है और फिर ब्लॉक कार्यालय निर्णय लेता है कि काम मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं। सर्वप्रथम, ब्लॉक कार्यालयातील पंचायतकडून प्रस्ताव दिला जातो आणि मग ब्लॉक कार्यालयाचा निर्णय मंजूर करावा की नाही हे ठरवितो. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मनरेगा के कार्यान्वयन के प्रदर्शन लेखापरीक्षा में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में "बड़ी कमियों" को पाया है। इस योजना को फरवरी 2006 में 200 जिलों में शुरू किया गया था और अंत में 593 जिलों तक विस्तारित किया गया। 2008-09 के दौरान 4,49,40,870 ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया, जहां प्रत्येक परिवार में 48 कार्य दिवस का राष्ट्रीय औसत था।[4]

विचार-विमर्श

मनरेगा ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनरेगा यह उल्लेख करता है कि कार्य को ग्रामीण विकास गतिविधियों के एक विशिष्ट सेट की ओर उन्मुख होना चाहिए जैसे: जल संरक्षण और संचयन, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क-तंत्र, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा जिसमें शामिल है तटबंधों का निर्माण और मरम्मत, आदि। नए टैंक/तालाबों की खुदाई, रिसाव टैंक और छोटे बांधों के निर्माण को भी महत्व दिया जाता है। कार्यरत लोगों को भूमि समतल, वृक्षारोपण जैसे कार्य प्रदान किये जाते हैं। इस योजना की काफी आलोचना भी हुई है और तर्क दिया गया कि यह योजना भी गरीबी उन्मूलन की अन्य योजनाओं से अधिक प्रभावी नहीं है, जहां प्रमुख अपवाद राजस्थान है[5]।

पहली आलोचना वित्तीय है। मनरेगा, दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी पहलों में से एक है[5]। वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए राष्ट्रीय बजट 113 बीलियन रुपए था (लगभग यूएस$2.5bn और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.3%) और अब पूरी तरह चालू होकर इसकी लागत 2009-2010 वित्तीय वर्ष में 391 बीलियन रुपये हैं[5]। ज्यां द्रेज व अन्य लोगों का सुझाव था कि इसका वित्त पोषण उन्नत कर प्रशासन और सुधारों के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि अभी तक कर-जीडीपी अनुपात वास्तव में गिरता जा रहा है[5]। ऐसी आशंका है कि इस योजना की लागत जीडीपी का 5% हो जायेगी[5]।

एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि सार्वजनिक कार्य योजनाओं का अंतिम उत्पाद (जैसे जल संरक्षण, भूमि विकास, वनीकरण, सिंचाई प्रणाली का प्रावधान, सड़क निर्माण, या बाढ़ नियंत्रण) असुरक्षित हैं जिन पर समाज के अमीर वर्ग कब्जा कर सकते है[5]। मध्य प्रदेश में मनरेगा के एक निगरानी अध्ययन में दिखाया गया कि इस योजना के तहत की जा रही गतिविधियां सभी गावों में कमोबेश मानकीकृत हो गई थी, जिसमें स्थानीय परामर्श नहीं के बराबर था[5]।

आगे की चिंताओं में यह तथ्य शामिल है कि स्थानीय सरकार के भ्रष्टाचार के कारण समाज के कुछ ख़ास वर्गों को बाहर रखा जाता है[5]। ऐसा भी पाया गया कि स्थानीय सरकारों ने काम में लगे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या से अधिक नौकरी कार्डों का दावा किया ताकि आवश्यकता से अधिक फंड को हासिल किया जा सके, जिसे फिर स्थानीय अधिकारियों द्वारा गबन कर लिया जाता है[5]। जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए 50 रुपये तक की रिश्वत दी जाती है[5]।

मनरेगा के अंतर्गत निकली एकाउंट्स असिस्टेंट सहित अन्य 37 पदों के लिए

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर का कार्यालय, दौसा, राजस्थान ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम, राजस्थान के तहत एकाउंट्स असिस्टेंट और जूनियर तकनीकी असिस्टेंट के कुल 37 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर का कार्यालय, दौसा, राजस्थान ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम, राजस्थान के तहत एकाउंट्स असिस्टेंट और जूनियर तकनीकी असिस्टेंट के कुल 37 पदों पर अनुबंध के आधार पर (पूरी तरह अस्थाई पद) भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. [5] इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार वेबसाइट www.dausa.rajasthan.gov.in से निर्धारित आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और 15 दिसंबर, 2017 को शाम 5 बजे तक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन फॉर्म भेज सकते हैं.

महत्वपूर्ण तिथि:

- आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि: 15 दिसंबर, 2017 को शाम 5 बजे तक

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 6, Issue 1, January 2019

MGNREGA के तहत दौसा, राजस्थान में पदों का विवरण:

- एकाउंट्स असिस्टेंट: 25 पद
- जूनियर तकनीकी असिस्टेंट: 12 पद

एकाउंट्स असिस्टेंट और जूनियर तकनीकी असिस्टेंट के पदों के लिए वेतनमान:

- एकाउंट्स असिस्टेंट: कुल 8000/- रु. एकमुश्त मासिक
- जूनियर तकनीकी असिस्टेंट: कुल 13000/- रु. एकमुश्त मासिक

एकाउंट्स असिस्टेंट और जूनियर तकनीकी असिस्टेंट के पदों के लिए चयन प्रक्रिया:
उम्मीदवारों का चयन निर्धारित योग्यता में मेरिट/ डिग्री के आधार पर किया जाएगा.
एकाउंट्स असिस्टेंट और जूनियर तकनीकी असिस्टेंट के पदों के लिए पात्रता मानदंड:
शैक्षिक योग्यता एवं आवश्यक अनुभव:
उम्मीदवार ने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बंधित विषय में स्नातक की डिग्री/ डिप्लोमा प्राप्त किया हो. उम्मीदवार इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी नीचे दिए गए लिंक से देखें.
एकाउंट्स असिस्टेंट और जूनियर तकनीकी असिस्टेंट के पदों के लिए आयु सीमा: (1 जनवरी, 2018 को)
21 – 35 वर्ष. सभी आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी गई है.
एकाउंट्स असिस्टेंट और जूनियर तकनीकी असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन कैसे करें:
योग्य उम्मीदवार वेबसाइट www.dausa.rajasthan.gov.in से निर्धारित आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और 15 दिसंबर, 2017 को शाम 5 बजे तक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन फॉर्म भेज सकते हैं.[6]
दौसा को देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है। झाझीरामपुर प्राकृतिक कुंड और रुद्र, बालाजी तथा अन्य देवी-देवताओं के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान दौसा नगर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ियों से घिरी इस जगह की प्राकृतिक और आध्यात्मिक सुंदरता मन को सुकून पहुँचाती है। यह संत सुन्दर दास जी की नगरी है जहां उनका राजस्थान सरकार द्वारा पैनोरमा बनाया गया हैं। पहाड़ी पर प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव का मंदिर है। जहां सावन में लखी मेला लगता है। दौसा का प्रसिद्ध मन्दिर श्री मेंहदीपुर बालाजी घंटा मेहंदीपुर में स्थित है। हनुमान जी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण श्रीराम गोस्वामी ने करवाया था। हनुमान जयंती, जन्माष्टमी, जल झूलनी एकादशी, दशहरा, शरद पूर्णिमा, दीपावली, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, होली और रामनवमी यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। मेहंदीपुर मंदिर के बारे में माना जाता है कि यहाँ प्रेतराज भूत-प्रेत से संकटग्रस्त लोगों का इलाज करते हैं। दुनिया भर में विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी आने के लिए सबसे नजदीकी रेल्वे स्टेशन बांदीकुई जंक्शन है जो की मेहंदीपुर बालाजी धाम से मात्र 30 की.मी.है।[7]

आशय

माताजी के मंदिर को सचिनी देवी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह दौसा का एक प्राचीन मंदिर है। देवी दुर्गा को समर्पित इस मंदिर में 12वीं शताब्दी की दुर्लभ मूर्तिकला को देखा जा सकता है। पपलाज माता मन्दिर लालसोट तहसील के ग्राम घाटा मे स्थित हैं। यह मंदिर जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय है। मीणा जाति में इस मंदिर का विशेष महत्व है। यह अरावली पर्वत माला पर जिला मुख्यालय से लगभग 40 कि. मीटर की दूरी पर स्थित है. दौसा जिले में गुर्जर जाति के आराध्य भगवान श्री देवनारायण भगवान का बहुत सुंदर मंदिर स्थित हैं। जिसका निर्माण देवनारायण मंदिर निर्माण समिति द्वारा कराया गया हैं। यह नायाब कलाकृति का एक बेजोड़ नमूना हैं। यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं भगवान श्री देवनारायण की महीमा अनंत हैं। दौसा नगर रेल मार्ग के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा है। दौसा जिले में बाँदीकुई का महत्त्वपूर्ण जंक्शन भी जो की जयपुर-दिल्ली-आगरा के मध्य तीनों महानगरों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण जंक्शन है। आश्रम एक्सप्रेस, पूजा एक्सप्रेस, मंडोर एक्सप्रेस व शताब्दी एक्सप्रेस बांदीकुई जंक्शन पर रोजाना आगमन-प्रस्थान होता है। आगरा और जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 21 दौसा ज़िले से होकर गुजरता है। पहले NH 11था जिसको अब बदल दिया गया हैं जयपुर से 55 किलोमीटर दूरी पर हैं । इंडरी खंड के गांव खेडली दोसा के मृतकों व सरकारी कर्मचारियों का जॉब कार्ड बनाकर फर्जी तरीके से सरकारी राशि हड़पने का मामला थमा नहीं कि अब इंडरी गांव के लोगों ने भी मनरेगा की वेबसाइट पर अपने गांव के लोगों के बने जॉब कार्डों को ढूंढना शुरू कर दिया। गांव में हड़कंप तब मचा जब इंडरी गांव के ग्रामीणों को भी पता चला कि उनके गांव के मृतक व सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ छात्र-छात्राओं, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग, गृहणियों के नाम जॉब कार्ड बने हुए मिले तो वहीं उनका बैंक खाता भी 60 किलोमीटर दूर पुन्हाना की एक बैंक शाखा मिला। जबकि ग्रामीणों को न मनरेगा जॉब कार्ड के बारे में पता था न ही बैंक खातों के बारे में। मनरेगा योजना में जॉब कार्ड बनाकर मृतकों व सरकारी कर्मचारियों सहित

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 6, Issue 1, January 2019

अन्य लोगों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर सरकारी राशि को गोलमाल करने का मामला ग्रामीणों को पता चला तो उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिला प्रशासन को लिखित शिकायत कर पंचायत अधिकारियों, अकाउंटेंट, एबीपीओ, बैंक प्रबंधक, पंचायत ग्राम सचिव के अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इंडरी निवासी हरबीर का आरोप है कि उनके उनके गांव की सोनिया (छात्रा), दोजों (मृत), मनोहर (प्राइवेट ड्राइवर), उमेश (डाकघर कर्मचारी), हरिओम (कार पेंटर), बाबू (विकलांग), कैलाश (मिड डे मिल कर्मचारी), पवन (छात्र), दयाचंद (रिक्शा चालक), प्रिया (छात्रा), राजबाला (ग्रहणी) सहित दर्जनों लोगों के जॉब कार्ड बने हुए है। जबकि उन्होंने कभी जॉब बनवाएं ही नहीं है, ना ही कहीं काम किया है। आरोप है कि इनमें से कुछ मृत, प्राइवेट वर्कर, विकलांग व शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे है। जिनका गैर कानूनी रूप से जॉब कार्ड बनाकर बैंक अकाउंट खोले गए है और रुपये निकाले गए, लेकिन ना तो उनको आज तक किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिला है ना ही इस बारे में कोई आभास है। वहीं खेड़ली दोसा गांव के मामले में अभी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहां पर भी करीब पांच मृतक लोग कई जगह पर कार्य कर रहे हैं लेकिन अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके परिजनों ने विभाग में फैले इस भ्रष्टाचार के लिए सीएम विंडों में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गजेंद्र सिंह ने इस मामले में कहा कि इस बारे में अभी जानकारी ली जाएगी। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी शिकायत मिली है।[2]

परिणाम

दौसा न्यूज़ डेस्क, दौसा कलेक्ट्रेट स्थित सोशल ऑडिट रिसोर्स पर्सन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायतों में एनजीओ के माध्यम से मनरेगा सहित सामाजिक कार्यों का ऑडिट कराने के आदेश का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को एडीएम को ज्ञापन सौंपा. सोमवार को सोशल ऑडिट रिसोर्स पर्सन एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सीताराम दयामा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और मांग की कि मनरेगा योजना के तहत किए गए कार्यों का सोशल ऑडिट एनजीओ द्वारा किया जाए न कि ब्लॉक और ग्राम संसाधनों से. व्यक्तियों की।[3]

इसके बाद उन्होंने एडीएम रामखिलाड़ी मीणा को ज्ञापन में कहा कि नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम पंचायतों में ग्रामीण मध्याह्न भोजन के कार्यों का सोशल ऑडिट संसाधन व्यक्ति और ग्राम संसाधन व्यक्ति द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन अब ग्राम संसाधन व्यक्ति का ऑडिट किया जा रहा है. व्यक्तियों और ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों से सामाजिक अंकेक्षण करने के बजाय गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने वरिष्ठ बीआरपी व जीआरपीओ से सोशल ऑडिट की मांग की है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सीताराम दायमा, नारायण लाल माली, रामावतार मोहनपुरिया, लक्ष्मण मीणा, आसाराम, सूरज सहित कई प्रखंड संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति उपस्थित थे.[4]

निष्कर्ष

सुख अकेले टहलते हैं,दुःख झुंड बनाकर रहते हैं।सुख चेहरे से छलकता है,दुःख चेहरे पर जमा रहता है।सुखों के लिए चौराहे होते हैं और दुःखों के लिए वह कोना जहां किसी की गुजर ही नहीं। गुलाबी नगरी जयपुर में गुजरे 15 दिसंबर को स्टेशन से लगते जीपीओ के पास बने शहीद स्मारक के घेरे में आलम कुछ ऐसा ही था।कुल 1 हजार की तादाद में पगड़ियां थीं और उनका रंग मटमैलेपन के बीच पूरी शान से झांक रहा था।कुल 600-700 की तादाद में साडियां थीं और उनके आँचल के बीच छिपे चेहरे से झांकती कई जोड़ी आंखों में जितनी निराशा थी उतना ही आक्रोश।गुलाबी नगरी के व्यस्त चाराहे के पास अपनी सफेदी से एक विरोधाभास पैदा करते शहीद स्मारक के घेरे में जमा सारे लोगों के चेहरे पर दुःख ठहरा हुआ था मगर एक लौ भी जाग रही थी पुरजोर उम्मीद से भरी अरुणा रॉय की आवाज के बीच।[5]

गुजरे 15 दिसंबर को राजस्थान में कार्यरत सूचना के अधिकार अभियान मंच के आह्वान पर जयपुर से बहुत दूर के रुपनगढ़ से लेकर पास के दौसा और अलवर तक से हजारों की तादाद में बुजुर्ग और जवान, स्त्री-पुरुष चले आये थे।मकसद सबका एक था-अगर नरेगा का पैसा अवाम का है तो अवाम को उसकी एक-एक पाई का हिसाब चाहिए. यह हिसाब हर हाल में चाहिए और अभी चाहिए।कुल डेढ़ हजार की तादाद में शहीद स्मारक(जयपुर) के घेरे में जमा लोग अपने-अपने बैनर लेकर पूरे तनकर खड़े थे, नारे गूंज रहे थे। इनका एक अलिखित एलान आस-पास फटकते खाकी वर्दीधारी जवानों के ऑन मोबाइल सेटों से कुछ किलोमीटर आगे बसे सिविल लाइन्स के मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रहा था - हम कातर भले हों, कायर नहीं हैं, हम कानून की भाषा भले ना समझते हों, कानून की भाषा के पीछे छुपी

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 6, Issue 1, January 2019

अपने हकों की बात हरचंद समझते हैं।आप गवाही मांगते हों मगर हम अपनी आँख से रोजाना देखते हैं कि कैसे पंचायत के सरपंच और इंजीनियर मिलकर नरेगा का पैसा हर जिले और हर पंचायत में जेसीबी मशीनों से लेकर सीमेंट या फिर ऐसी ही सामग्री के नाम पर अपनी-अपनी जेबों में भरते हैं।[6]

इस फरियादी झुंड की बातों में दम है। सूचना के अधिकार अभियान(राजस्थान) के एक कार्यकर्ता अंकिता पांडे ने बताया- जब से भीलवाड़ा में सोशल ऑडिट हुआ है,तभी से सरपंच चोट खाये नाग की तरह फन उठाकर खड़े हैं। सरपंचों ने अपनी जमात बना ली है और सामाजिक अंकेक्षण की विधि-सम्मत कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं,कहीं धमकी देकर तो कहीं कानून का सहारा लेकर।सरपंचों और इंजीनियरों की आपसी मिलीभगत के बीच नरेगा के पैसे की बंदरबांट और सामाजिक अंकेक्षण की राह में रोड़े अटकाने की एक बानगी सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय मंच के एक कार्यकर्ता सिराज की बातों से मिली।40 वर्षीय सिराज कभी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए कश्मीर में मुलाजिम थे। अपनी मिट्टी और अपने लोग की मोहब्बत ने दिल को ऐसा खींचा कि नौकरी को ना कहकर राजस्थान के अपने गांव खेती-बाड़ी संभालने चले आये। उन्होंने बताया-चित्तौरगढ़ के सोणियाना ग्रामपंचायत (ग्राम समिति गंगरान) में गुजरे नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में सामाजिक अंकेक्षण करने गई हमारी टोली को सरपंचों ने पूरी जमात बनाकर धमकाया।सवाल यह उठाया गया कि सामाजिक अंकेक्षण सरकारी लोग करेंगे, एनजीओए के लोग नहीं। हमने सामाजिक अंकेक्षण के लिए सरकार द्वारा जारी फरमान दिखाया लेकिन बात नहीं बनी।सरपंचों अपनी जिद पर तने और अड़े हुए थे।दरअसल सरपंचों को मालूम था कि सोशल ऑडिट करने के लिए आई टोली में उनके हिमायती मौजूद हैं। इसका खुलासा करते हुए सिराज ने बताया-सामाजिक अंकेक्षण करने गई हमारी टोली में सरकार की तरफ से नीयत किए गए इजीनियर और एकाउंटेंट के साथ-साथ ब्लॉक प्रतिनिधि भी थे।सरपंचों को मनाने की जिम्मेदारी पहले पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी रंजना तिवारी ने संभाली। बात नहीं बनी तो अधिशासी इजीनियर साहब ने यह बीड़ा उठाया। सिराज के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण ना होने देने की जिद पर कायम सरपंचों से बातचीत के बाद अधिशासी अभियंता साहब ने अंकेक्षण पर गई टोली के सामने सरगोशी की- चले जाना ही ठीक है। स्थितियां अनुकूल नहीं हैं।

दरअसल आंध्रप्रदेश की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने नागरिक संगठनों की भागीदारी के साथ सोशल ऑडिट की राह हमवार की है।एक निदेशालय की स्थापना साथ भीलवाड़ा में अक्तूबर महीने में आयोजित सोशल ऑडिट के साथ सूबे की सरकार ने 16 जिलों की चुनी हुई पंचायतों में नरेगा के काम का जायजा लेने की गरज से सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया के शुरु होने के साथ-साथ सरपंचों का सिरदर्द जाग पडा। कारण, सरपंच नरेगा के प्रावधानों के उलट मजदूरी पर नरेगा की रकम कम और निर्माण-समाग्री या फिर मशीनों के इस्तेमाल पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और इस खरीदारी में भारी घोटाला अधिशासी अभियंता की मिलीभगत से हो रहा है।सिराज ने आईएमफॉरचेंज को बताया कि सोणियाना(चित्तौरगढ़) में नरेगा के काम में कुल पौने तीन करोड़ रुपये साल 2008-09 में कुल 38 किस्म के कामों में खर्च हुए हैं।इसमें डेढ़ करोड़ का खर्च सरपंचों ने सिर्फ सामग्री के मद में दिखाया है यानी सामग्री और मजदूरी पर हुए खर्च का अनुपात नरेगा के प्रावधानों के विपरीत है। प्रावधानों में कहा गया है कि नरेगा की रकम का 60 फीसदी हिस्सा मजदूरी पर खर्च किया जाय।[7]

सिराज के बातों की पुष्टि खुद सरकारी आंकड़ों से होती है।इस साल नरेगा के कामों पर हुए जमा खर्च के बारे में सूबे में परियोजना अधिकारी रामनिवास मेहता ने एक रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी किसी पंचायत में नरेगा की रकम का 90 फीसदी हिस्सा सिर्फ निर्माण सामग्री की खरीद या मशीनों के भाड़े पर खर्च किया गया है। इस रिपोर्ट में तथ्यों के विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि कुल 1752886 रुपये की अनियमितता हुई है और इसकी वसूली अभी बाकी है।शहीद स्मारक के घरे में जमा लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय की अगुवाई में अपना ज्ञापन सौंप दिया है। चलन के हिसाब से मुख्यमंत्री ने सामाजिक अंकेक्षण के कार्य को आगे बढ़ाने का वादा भी किया है। मगर, इस वादे के बीच एक तथ्य यह भी है कि सरपंचों ने कुछ कानूनी नुक्ते उठाकर अदालत से यह फैसला(तारीख 27-11-09) करवा लिया है कि 28 नवंबर तक होने वाला सामाजिक अंकेक्षण का कार्य अगले आदेश तक स्थगित रहेगा।[7]

संदर्भ

1. "संग्रहीत प्रति". मूल से 21 जून 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 अक्तूबर 2010.
2. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 26 सितंबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 अक्तूबर 2010.

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 6, Issue 1, January 2019

3. ↑ http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/11/28/MNVB13VKMC.DTL&type=printable
4. ↑ "एनआरईजीए के तहत सभी के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य असफल". मूल से 26 सितंबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 अक्तूबर 2010.
5. ↑ दिसा जोब्लोम और जॉन फेरिंग्टन (2008) भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: क्या यह गरीबी कम करेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा? Archived 2010-05-27 at the Wayback Machine विदेशी विकास संस्थान
6. "Lonely Planet Rajasthan, Delhi & Agra," Michael Benanav, Abigail Blasi, Lindsay Brown, Lonely Planet, 2017, ISBN 9781787012332
7. ↑ "Berlitz Pocket Guide Rajasthan," Insight Guides, Apa Publications (UK) Limited, 2018, ISBN 9781785731990